

कार्यालय निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड-देहरादून।

बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।

पत्रांक / स्था0स्थानान्तरण/2018-19

दिनांक 08 जून, 2018

:- कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-01 वर्ष-2018) में निहित प्रावधानानुसार एवं समय सारणी के अनुसार निदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की निदेशालय को हुई बैठक दिनोंक 29.05.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनोंक 25.05.2018 के क्रम में मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नांकित **सहायक निदेशक मत्स्य** का स्थानान्तरण जनहित पर करते हुए उनकी वर्तमान पदस्थता स्थान से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी के अधीनस्थ पदस्थ किया जाता है।

2. स्थानान्तरित कर्मचारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये अवमुक्त किये जाने का सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा। अतः स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थता स्थान	भविष्य की पदस्थता का स्थान जहाँ कर्मचारी को स्थानान्तरित किया गया है	जनहित/ निजी विनय	सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य/ सहायक निदेशक मत्स्य जिनके अधीन पदस्थता की गई
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जी0एस0बिष्ट, सहायक निदेशक मत्स्य	गोपेश्वर (चमौली)	उप निदेशक मत्स्य, भीमताल (नैनीताल) के रिक्त पद के सापेक्ष	निजी विनय	उप निदेशक मत्स्य, नैनीताल

3. उक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे। स्थानान्तरित कर्मचारी बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए स्थानान्तरित स्थान पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मचारी से सम्बन्धित अधिकारी-उप निदेशक मत्स्य अथवा सहायक निदेशक मत्स्य का दायित्व होगा कि वे इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित कर्मचारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये हुए तुरन्त कार्यभार से अवमुक्त कर निदेशालय को सूचित करेंगे।

4. उक्त कर्मचारियों का माह जून, 2018 का वेतन पुराने स्थान से कदापि अहरित न किया जाए तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतते पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5. स्थानान्तरित कर्मचारी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में नियमानुसार उच्च स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता टाल मटोल अथवा राजनैतिक दबाव डालने

की स्थिति में कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम पनिशमेंट एण्ड अपील फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम-1 ए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

67

(डा0बी0पी0मघवाल)
निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड-देहरादून।

पत्रांक 1295 / स्था0स्थानान्तरण / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, मत्स्य, उत्तराखण्ड शासन।
2. उप निदेशक मत्स्य, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
4. सहायक निदेशक मत्स्य, हरिद्वार।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मत्स्य निदेशालय, देहरादून।
6. उपरोक्त कर्मचारियों को अनुपालनार्थ।
7. सम्बन्धित कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली नत्थी हेतु।

(डा0बी0पी0मघवाल)
निदेशक मत्स्य
उत्तराखण्ड-देहरादून।